न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 — 44 / 2017

अनवान : —

भूपराम पुत्र भीयांराम जाति जाट निवासी डबलीकंला त0 टिब्बी जिला हनुमागनढ। — **मृतक**

1. मेहदी देवी पत्नी भूपराम जाति जाट निवासीयान डबलीकंला त0 टिब्बी।
2. संदीप पुत्र भूपराम जाति जाट निवासी डबलीकंला त0 टिब्बी।
3. अनिल कुमार पुत्र भूपराम जाति जाट निवासी डबलीकंला त0 टिब्बी जिला हनुमानगढ।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. हेतराम पि0 बीरबलराम जाति जाट निवासी डबलीकंला तहसील टिब्बी।
2. पूर्णराम पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी डबलीकंला तहसील टिब्बी।
3. जगदीश पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी डबलीकंला तहसील टिब्बी।
4. औमप्रकाश पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी डबलीकंला तहसील टिब्बी।
5. जेसराज पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी डबलीकंला तहसील टिब्बी।
6. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

—अप्रार्थीगण

प्रा.पत्र बाबत अस्थाई निशेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

श्री सुभाष शर्मा प्रार्थीगण
श्री रोहिताश चाहर अधि0 अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार से है कि प्रश्नगत कृषि भूमि चक नं 5 एन डी आर (सी) प. न. 181/348 (40) कि. न. 8, 9, 10/2/0.203 कुल 0.709 हैक्टर अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के खाता में उनके नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है लेकिन प्रश्नगत कृषि भूमि सम्वत् 2015 से पहले से खसरो के वक्त से प्रार्थी के पिता के नाम से दर्ज रिकार्ड थी तथा उनके कब्जा काश्त में थी वादी के पिता के फौत होने पर वादी के कब्जा में बतौर काबिज काश्तकार चली आर रही है फोटो प्रति जमाबन्दी चक नं 5 एन डी आर (सी) खाता संख्या 69 सम्वत् 2072 से 75 व परचा खतौनी सम्वत् 2015 बहक भीयां वल्द लघु संलग्न प्रार्थना पत्र है। यह कि प्रश्नगत कृषि भूमि मौजा रामनगर बेचीराग के ख. न. 82 में 14.04 बीघा प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज थी जो चक बन्दी में चक नं 5 एन डी आर (सी) प. न. 181 ६ 348(40) किं. न. 11/2 ता 13, 18 ता 23 कुल 2.127 हैक्टर व चक नं 2 आर पी सीएडी (रहित) प. न. 181/349 (19) कि. न. 1/2 व 2 में कुल 0.455 हैक्टर दोनो चक्को की कुल 2.582 हैक्टर प्रार्थी एवं प्रार्थी के भाई के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हुयी तथा चक नं 2 आरपी प. न. 181/348 (40) कि. न. 8, 9, 10 कुल 0.709 हैक्टर अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के पिता एवं चाचा के नाम से उनके खाता में दर्ज कर दी गयी। जो वर्तमान में चक नं 5 एनडीआर (सी) में अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के नाम दर्ज है। फोटो प्रति परचा खतौनी कोलोनाइजेशन विभाग बहक बीरबल, जीतराम खाता संख्या 7 चक नं 2 आर पी व फोटो प्रति परचा खतौनी कोलोनाईजेशन विभाग चक नं 5 एन डी आर (सी) बहक बीरबल संलग्न प्रार्थना पत्र है जिससे यह साबित है । प्रश्नगत कृषि भूमि चक नं 5 एन डी आर (सी) प. न. 181 ६ 348 (40) कि. न. 8, 9, 10/2 कुल 0.709 हैक्टर प्रार्थी के पिता के हक हिस्सा व कब्जा कास्त की थी जो चक बन्दी के दौरान पत्थर नम्बर किला नम्बर में पैमुद करते वक्त प्रार्थी या प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज न की जाकर अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के पिता के नाम दर्ज कर दी गयी तथा उनके फौत होने पर अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के नाम दर्ज हो गयी । प्रश्नगत कृषि भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 का कोई हक व अधिकार नही है तथा न ही प्रश्नगंत भूमि पर कभी भी अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 का कब्जा कास्त रहा है। प्रश्नगत कृषि भूमि पूर्व में प्रार्थी के पिता भीयां के कब्जा कास्त में तथा उनके फौत होने पर प्रार्थी के कब्जा कास्त में आजकत लगातार चली आर रही है इसलिए प्रश्नगत भूमि की घोषणा अपने नाम करवाने का कानूनी

मुस्तहक है। फोटो प्रति खसरा गिरदारी सम्वत् 2018 से 20 बहक भीयां वल्द लछू संलग्न प्रार्थना पत्र है प्रश्नगत कृषि भूमि पर प्रार्थी पिछले 40–45 वर्षो से काबिज चला आ रहा है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज नही होकर अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के नाम दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज होने का नाजायज कायदा उठाकर प्रार्थी के कब्जा कास्त में प्रवेश करने की ऐलानिया धमकी देते है तथा प्रश्नगत भूमि को किसी दिगर व्यक्तियों को रहन, बैय व अन्तरण करना चाहते है यदि अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 उक्त कृत्य में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थी को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी भरपाई रूपयों में नही आंकी जा सकती । कृषि भूमि प्रार्थी के पिता के नाम से सम्वत् 2015 व 18 ता 20 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने तथा प्रार्थी के कब्जा कास्त में लगातार चली आने से पानी पर्ची, गिरदावरी, बाराबन्दी प्रार्थी के नाम दर्ज होने से प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है । प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है जो समुचित न्याय शुल्क पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत है । अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर न्यायहित में ताफैसला दावा अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 को पाबन्द फरमाया जावे कि वो प्रश्नगत कृषि भूमि चक नं 5 एन डी आर (सी) खाता संख्या 69 प. न. 181/ 348 (40) कुल 0.709 हैक्टर को रहन, बैय व अन्तरण करने तथा प्रार्थी के कब्जा कास्त में प्रवेश करने से निषिद्ध रहे तथा प्रश्नगत भूमि की मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली में अप्रार्थीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि दफा 2 में अंकित कथन प्रश्नगत कृषि भूमि चक 5 एनडीआर सी प०न० 181 / 348 मु0 40 किलानं0 8, 9, 10 /2 / 0.203 कुल 0.709 है0 कृषि भूमि हम अप्रार्थीगण के खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, स्वीकार है। क्योकि प्रश्नगत भूमि के अलावा अन्य भूमि चक 2 आरपी में बीरबलराम (अप्रार्थीगण के पिता) व उनके भाई जीतराम की खातेदारी भूमि थी जो तत्पश्चात हम अप्रार्थीगण के पिता को प्राप्त हुई थी तथा आज राजस्व रिकार्ड में हम अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज है। दफा में दर्ज कथन कृर्षि भूमि सम्वत 2015 से पहले खसरो के वक्त प्रार्थी के पिता के नाम से दर्ज रिकार्ड थी तथा उनके कब्जा काश्त में थी, मिथ्या रचित, विधिक विरूद्व होने के कारण अस्वीकार है। क्योकि प्रश्नगत भूमि हम अप्रार्थीगण के पूर्वजों की खातेदारी भूमि थी । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात पर्चा खतौनी संवत 2015 में भीयां वल्द लघु दफा मे दर्ज कथन स्पष्ट नही होते है । दफा 3 में दर्ज कथन कि प्रश्नगत कृषि भूमि मौजा रामनगर बेचीराम के खसरा नम्बर 82 में 14.04 बीघा प्रार्थी के पिता के नाम थी, स्वीकार नही है क्योकि गॉव रामनगर बेचीराम के ख.न. 82 में भीया वल्द लघु के नाम 14.04 बीघा भूमि थी उपरोक्त ख.नं. 82 की 14.04 बीघा भूमि का हम अप्रार्थीगण की वाके चकनं0 5 एनडीआर सी के प0न0 181/348 मु0 40 किलानं0 8,9, 10/2/.203 कुल .709 है0 कृषि भूमि से कोई सम्बन्ध नही है। प्रश्नगत भूमि हम अप्रार्थीगण के पूर्वजों की खातेदारी भूमि थी तथा उनके पश्चात हम अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है तथाना ही प्रश्नगत भूमि 709 है0 कृषि भूमि का प्रार्थी के पूर्वजो के रिकार्ड में अंकन रहा है। जो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से स्पष्ट हो रहा है तथा इसके अलावा अन्य कथन अस्वीकार है । दफा 4 प्रार्थना पत्र कतई गलत आधारहीन, मिथ्या रचित, विधि विरूद्ध होने के कारण अस्वीकार है। प्रश्नगत कृषि भूमि चक 5 एनडीआर सी के प0न0 181 /348 मु0 40 कुल 0.709 है० भूमि हम अप्रार्थीगण के पूर्वजों की खातेदारी भूमि थी जो उनके फौत होने के पश्चात हम अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। जो प्रार्थी के हक व हिस्सा की भूमि नही है तथा ना ही चकबन्दी के दौरान प०न० किलान. पैमूद करते समय हम अप्रार्थीगण के पिता के नाम दर्ज हुई है। प्रश्नगत कृर्षि भूमि हम अप्रार्थीगण को हिस्सा ठेका पर देते आ रहे है तथा अब प्रार्थी लालची होकर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर प्रश्नगत भूमि की खातेदारी प्राप्त करनाचाहता है जो विधि प्रार्थी के विरूद्ध है। प्रतिकूल कब्जे के आधर पर प्रार्थी खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात खसरा गिरदावरी संवत 2018 में कब्जा की स्थिति स्पष्ट होती है कि प्रश्नगत कृषि भूमि पर हम अप्रार्थीगण के पूर्वजों का कब्जा रहा है। दफा 5 प्रार्थना पत्र कतई गलत आधारहीन, विधि विरूद्व है जो स्वीकार नही । पश्नगत कृषि भूमि चक 5 एनडी आर सी के प0न0 181/348 मु0 40 किलानं० 8,9,10/2/0.203 कुल 0.709 है0 भूमि हम अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है हम अप्रार्थीगण, प्रार्थी को हिस्सा ठेका पर देते आ रहे है परन्तु अब प्रार्थी लालचवंश होकर प्रतिकूल कब्जे को आधार मानकर खातेदारी अधिकार प्राप्त करना

चाहता है प्रश्नगत कृर्षि भूमि हम अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है जिसके हम अप्रार्थीगण के नाम अंकित होने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। प्रार्थी अब हम अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भूमि अन्यत्र खुर्द बुर्द करने की फिराक में है । प्रतिकूल कब्जे को आधार बनाकर पार्थना पत्र पेश किया है जो विधि विरूद्ध होने के कारण काबिल खारीजी के है। दफा 6 में अंकित कथन कि प्रश्नगत कृषि भूमि प्रार्थी के नाम से सबूत 2015 व 18 ता 20 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी, स्वीकार नही है क्योकि प्रश्नगत भूमि हम . अप्रार्थीगण के पूर्वजों की खातेदारी भूमि थी । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मे प्रश्नगत भूमि का अंकन ही नही है । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकर प्राप्त नही कर सकता है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष मे ना होकर हम अप्रार्थीगण के पक्ष में है क्योकि प्रश्नगत कृर्षि भूमि हम अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है । अतः जबाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय खर्चा निरस्त फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी ने चक 5 एनडी आर सी के प0न0 181/348 मु0 40 किलानं० 8,9,10/2/0.203 कुल 0.709 है0 में अस्थाई निषेधाज्ञा व्यादेश चाहा है। उक्त वाद में भूमि के संबंध में मूल वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें साक्ष्य सबूत एंव तनकी आदि लेखबद्व होने के बाद ही हक हिस्सों का निर्धारण पक्षकारान के मध्य होना है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों से वाद भूमि प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के दादा भीयांराम के नाम दर्ज होना जाहिर होता है जो बाद में अप्रार्थीगण के पिता बीरबल के नाम वर्तमान राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है पानी बारी दस्तावेजों से वाद भूमि पर कब्जा प्रार्थीगण का ही जाहिर होता है। अप्रार्थीगण ने अपनी बहस के खण्डन में ऐसे साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किये है जिससे यह साबित हो कि अप्रार्थीगण के पिता के नाम उक्त भूमि किस आधार पर दर्ज हुई है एंव वर्तमान अंकन सही है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने के कारण सुविधा का संतुलन एंव अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में होने के कारण मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक वाद भूमि के रिकोर्ड व मौका की यथास्थिति बनायें रखे जाना न्यायालय के अभिमत में न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः उपरोक्त विवेचानुसार एंव प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आरटीए स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी चक 5 एनडी आर सी के प0न0 181/348 मु0 40 किलानं० 8,9,10/2/0.203 कुल 0.709 है0 में रिकोर्ड व मौका की यथास्थिति बनायें रखें।

निर्णय आज दिनांक 01/07/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़